

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र



क्रमांक..... 87 / चूरु / 200 4 - 200 5

यह प्रमाणित किया जाता है कि पी. के. लक्ष्मी एज्युकेशन एण्ड
राजजा/तहसील राजजा जिला
चूरु का राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण - पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज
दिनांक 25/11/2004 माह अक्टूबर सन् दो हजार चार को
चूरु में दिया गया।

रजिस्ट्रार जनरल
चूरु (राजस्थान)